भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक **08 नवम्बर**, 2021

(असाधारण भाग I—खंड -1)

अधिसूचना

सरकारी प्रतिभूतियों (जीएस) की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या.4(3)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2021:भारत सरकार एतदद्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (**निर्गम/पुनर्निर्गम**) अधिसूचित करती है:

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ में)
4.26% सरकारी प्रतिभूति, 2023	17 मई, 2021	02-00-00	17 मई, 2023	मूल्य	समान	2,000
नई सरकारी प्रतिभूति, 2026	15 नवम्बर, 2021	05-00-00	15 नवम्बर, 2026	लाभ	समान	6,000
6.67% सरकारी प्रतिभूति, 2035	13 सितम्बर,2021	14-03-02	15 दिसम्बर, 2035	मूल्य	समान	9,000
नई सरकारी प्रतिभूति, 2051	15 नवम्बर, 2021	30-01-00	15 दिसम्बर, 2051	लाभ	विविध	7,000

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों में से एक या एक से अधिक के लिए 2,000 करोड़ रुपए प्रत्येक की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी प्रतिभूतियां भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या.4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से बेची जाएंगी ।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम **(अनुबंध)** के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियां पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा ।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 12 **नवम्बर** 2021 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 12 **नवम्बर** 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां **पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे** के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां **पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे** के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. ये प्रतिभूतियां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होंगी।

निर्गम की तारीख और प्रतिभूतियों के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर 12 **नवम्बर** 2021 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 15 **नवम्बर** 2021, अर्थात् **निर्गम/पुनर्निर्गम** की तारीख को किया जाएगा। प्रतिभूतियों के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक, प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा। जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान

6. **मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख** से प्रतिभूति के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर **सममूल्य** पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	**कूपन दर (%)**	**अंतिम कूपन भुगतान की तारीख**	**किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है**	**कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)**
4.26% सरकारी प्रतिभूति 2023	4.26	नई प्रतिभूति	14 नवम्बर, 2021	17 नवम्बर और 17 मई
नई सरकारी प्रतिभूति, 2026	लाभ आधारित *	नई प्रतिभूति	नई प्रतिभूति	15 मई और 15 नवम्बर
6.67% सरकारी प्रतिभूति, 2035	6.67	नई प्रतिभूति	14 नवम्बर, 2021	15 दिसम्बर और 15 जून
नई सरकारी प्रतिभूति, 2051	लाभ आधारित *	नई प्रतिभूति	नई प्रतिभूति	15 दिसम्बर और 15 जून

*प्रतिभूति के लिए कूपन दर का निर्णय नीलामी में निर्धारित परिपक्वता दर की कट ऑफ -आफ लाभ पर किया जाएगा। ब्याज का भुगतान अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा ।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

आशीष वच्छानी
(आशीष वच्छानी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार